

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद पक्ष)

महत्वपूर्ण सांख्यिकी
बजट (2011-12)

योजना

मुख्यशीर्ष-4059 लोक निर्माण के कार्य के लिए पूँजीगत परिव्यय

योजना (राज्य योजना के अन्तर्गत)- 194.20 (एक करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार)रु0

योजना- उत्पाद पक्ष के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में राज्य योजना के अंतर्गत कुल-194.20 (एक करोड़, चौरानवे लाख बीस हजार) रुपये मात्र की बजटीय उपबंध है। वर्ष 2011-12 में राज्य योजना के अंतर्गत राज्य के चार जिलों यथा कटिहार, पूर्णियाँ, पूर्वी चंपारण एवं भोजपुर जिलों में जिला उत्पाद कार्यालय भवन एवं बैरक हाजत मालखाना के नवनिर्माण हेतु प्रति जिला-12637000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख सैतीस हजार) के दर से कुल (12637000X4=550548000/-) के विरुद्ध वर्ष 2011-2012 में उपबंधित राशि को तत्काल प्रति जिला 4855000X4(=194.20) समानुपातिक रूप से 4855000 (अड़तालीस लाख पच्चपन हजार) की दर से विभागीय पत्रांक-1100 दिनांक 12.09.2011 के द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत की गयी। शेष राशि का आवंटन अगले वित्तीय वर्ष 2012-2013 में राशि का उपबंध होने के उपरान्त स्वीकृति दी जायेगी। राशि की निकासी के नियंत्री पदाधिकारी सचिव भवन निर्माण विभाग पटना है। तथा उनके देख-रेख में आवंटन/व्यय किया जाएगा। उत्पाद पक्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनाएँ तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ स्वीकृत नहीं है।

गैर योजना

गैर योजना- उत्पाद पक्ष के अंतर्गत गैर योजना मद में 02 (दो) मुख्यशीर्ष 2052, स्टाम्पस एवं उत्पाद आयुक्त तथा 2039 अधीक्षण एवं 2039 जिला प्रभार शीर्ष है।

जिला प्रभार+अधीक्षण+स्टाम्पस और उत्पाद आयुक्त

(मुख्यशीर्ष 2039 एवं 2052) $625854000+56045000+3381000 = 685280000.00$
(प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक सहित)

कुल उपबंधित राशि :- 685280000.00 करोड़ (अड़सठ करोड़ बावन लाख अठाईस हजार)रु0